

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 17 नवम्बर 2016—कार्तिक 26, शक 1938

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्र. एफ-13-13-2013-1-पचपन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय तृतीय श्रेणी-अलिपिकीय (सह-चिकित्सीय संवर्ग) भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम, 10 में शब्द “या साक्षात्कार” का लोप किया जाए.
- (2) नियम, 11 में उप-नियम (2) का लोप किया जाए.

S. No. F-13-13-2013-1-LV.—In exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Directorate of Medical Education Class-III Non-Ministerial (Paramedical Cader) Recruitment and Service Conditions Rules, 2015, nemely:—

AMENDMENT

In the said rules,

- (1) In rule 10, the words “or interview” shall be omitted.
- (2) In rule 11, sub-rule (2) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. सुनहरे, उपसचिव.